न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 411 / 17 (RCMS No. 2017 / 00439) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नि स्व0 श्री बदरी लाल गुर्जर पुत्री माधो बागरिया
2. अजय किरण पुत्र स्व0 श्री बदरी लाल गुर्जर जाति गुर्जर नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती सुशीला देवी पत्नि स्व0 बदरी लाल गुर्जर पुत्र माधो बागरिया
निवासी हनुमान जी के मन्दिर के पास, गुर्जर मौहलला, खेरदा सवाई माधोपुर

...........अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर
2. रूप सिंह पुत्र निर्णय में दर्ज अनुसार स्व0 बदरी लाल जाति गुर्जर
3. राजेश पुत्र निर्णय में दर्ज अनुसार स्व0 बदरी लाल जाति गुर्जर
4. श्रीमति मूली देवी उर्फ राधा देवी पत्नि निर्णय में दर्ज अनुसार स्व0 बदरी लाल जाति गुर्जर
5. श्रीमती रेखा पुत्री निर्णय में दर्ज अनुसार स्व0 बदरी लाल जाति गुर्जर समस्त निवासीयान हनुमान जी का मन्दिर गुर्जर मौहल्ला खेरदा सवाई माधोपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 31.05.2017 एवं नामा0 सं0 1089 दिनांक 26.05.89 वॉके ग्राम आलनपुर

अपील संख्याः— 440 / 17 (RCMS No. 2017 / 00467) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नि स्व0 श्री बदरी लाल गुर्जर पुत्री माधो बागरिया
2. अजय किरण पुत्र स्व0 श्री बदरी लाल गुर्जर जाति गुर्जर नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती सुशीला देवी पत्नि स्व0 बदरी लाल गुर्जर पुत्र माधो बागरिया
निवासी हनुमान जी के मन्दिर के पास, गुर्जर मौहलला, खेरदा सवाई माधोपुर

...........अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर
2. रूप सिंह पुत्र निर्णय में दर्ज अनुसार स्व0 बदरी लाल जाति गुर्जर
3. राजेश पुत्र निर्णय में दर्ज अनुसार स्व0 बदरी लाल जाति गुर्जर

4. श्रीमति मूली देवी उर्फ राधा देवी पत्नि निर्णय में दर्ज अनुसार स्व0 बदरी लाल जाति गुर्जर
5. श्रीमती रेखा पुत्री निर्णय में दर्ज अनुसार स्व0 बदरी लाल जाति गुर्जर समस्त निवासीयान हनुमान जी का मन्दिर गुर्जर मौहल्ला खेरदा सवाई माधोपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा पारित नामा0 सं0 215 निर्णय दिनांक 09. 06.2017 वॉके ग्राम खेरदा तहसील सवाई माधोपुर

उपस्थितिः—

1. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता वकील अपीलान्ट
2. श्री विनोद अग्रवाल वकील रैस्पो0

<u>नि र्ण य</u> **<u>दिनांकः—22.03.2018</u>**

उपरोक्त दोनों अपीलें भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 31.05.2017 एवं उक्त निर्णय की पालना दर्ज नामान्तरकरण सं0 215 दिनांक 09.06.2015 वॉके ग्राम खेरदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीलों में समान पक्षकार, समान विवादित आराजी व समान विवादित बिन्दु होने से इन दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार सवाई माधोपुर के न्यायालय में रूपसिंह रैस्पो0 सं0 2 ने प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.16 को पेश कर अपने पिता बदरी लाल के दिनांक 20.11. 16 को फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण रूपसिंह, भाई राजेश, बहिन रेखा और मॉ मूली देवी उर्फ राधा के नाम दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र पर पटवारी से रिपोर्ट ली गई। पटवारी ने मृतक बदरी लाल की शादी शुदा पत्नि मूली देवी उर्फ राधा एवं उसके दो पुत्र रूपसिंह, राजेश एवं एक पुत्री रेखा को बताया। पत्रावली में एक प्रार्थना पत्र सुशीला देवी अपीलान्ट ने जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष दिनांक 20.11.16 को पेश कर निवेदन किया कि वह व उसका पुत्र अजय किरण मृतक बदरी लाल के पत्नि व पुत्र है इसलिये विरासत का नामान्तरकरण उसके व उसके पुत्र अजय किरण के नाम दर्ज किया जावे जिस पर पटवारी से रिपोर्ट ली गई। पटवारी ने रिपोर्ट दिनांक 23.12.17 में स्पष्ट किया कि मृतक बदरी लाल की शादी शुदा पत्नि मूलीदेवी उर्फ राधा है तथा उसके दो पुत्र रूप सिंह व राजेश हैं एवं एक पुत्री रेखा है तथा यह भी दर्शाया कि मृतक बदरी लाल द्वारा काफी समय से एक सुशीला नाम की स्त्री जो जाति से बागरिया है, के साथ भी संबंध रखे थे जिसके एक लड़का अजय किरण उम्र 11 वर्ष मौजूद है। तहसीलदार ने उभय पक्ष की साक्ष्य, बयान व संबंधित दस्तावेजात लेकर यह माना कि श्रीमती सुशीला देवी काफी समय से

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

मृतक बदरी लाल के साथ आपसी संबंध बनाकर रह रही है। वह कानूनी एवं सामाजिक रूप से मान्य नही है। इसलिये सुशीला को पत्नि का दर्जा नही दिया जा सकता है। अतः मृतक बदरी लाल पुत्र फेलू गुर्जर की विरासत का नामान्तरकरण उसके जायज वारिसान मूली देवी उर्फ राधा पत्नि रूपसिंह व राजेश पुत्र व रेखा पुत्री के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस निर्णय की पालना में नामान्तरकरण संख्या 215 दिनांक 09.06.15 को रैस्पो0 सं0 2 लगायत 5 के नाम तस्दीक कर दिया। उक्त दोनों आदेशों के विरूद्ध ये दो अपीलें पेश की गई हैं।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर गौर नही किया और न ही अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अपीलान्ट ने साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रार्थना पत्र पेश कर अवसर चाहा था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किया। खातेदार बदरी लाल की मृत्यु दिनांक 20. 11.16 को हुई थी तथा उसके स्थान पर विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम खोलने हेतु प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ प्रस्तुत किया था जिस पर जिला कलक्टर ने तहसीलदार को नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश पारित किया था। जिला कलक्टर ने सहवन से हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 20.12.16 के स्थान पर दिनांक 20.11.16 दर्ज कर दी थी। उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया था उन्होंने दिनांक 21.12.16 को पटवारी को नामा0 की कार्यवाही करने हेतु आदेश दिया था। तहसीलदार ने सहवन से हस्ताक्षर के नीचे दर्ज हुई गलत तिथि 20.11.16 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना मानकर भूल की है। अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय में मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति तथा अपीलान्ट नं0 1 व 2 के आधार कार्ड की फोटो कापी एवं राशन कार्ड की फोटो कापी व मृतक बदरी व अपीलान्ट सं0 1 व 2 का संयुक्त फोटो तथा अपीलान्ट सुशीला देवी का शपथ पत्र व गवाह के रूप में माधो बागरिया का शपथ पत्र दिनांक 26.04.17 को प्रस्तुत किया। उसके बाद दिनांक 02.05.17 को एक गवाह कालूराम सोनगरा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। अपीलान्ट ने अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये समय चाहा लेकिन न तो समय दिया गया और न ही रैस्पो0 से जिरह करवाई गई। अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुने बिना ही निर्णय पारित कर दिया, जो न्यायोचित नही है। उनका तर्क है कि अपीलान्ट नं0 1 मृतक बदरी लाल गुर्जर की सात फैरो की विवाहिता पत्नि है जिसका विवाह बदरी लाल गुर्जर के साथ करीब 20 वर्ष बाद हुआ था तथा विवाह के पॉच साल बाद गौणा हुआ था एवं बदरी लाल के संसर्ग से उसके एक पुत्र अपीलान्ट नं0 2 अजय किरण का जन्म हुआ जो वर्तमान में करीब 11 वर्ष का है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नही किया। इसके विपरीत रैस्पो0 सं0 2 लगायत 5 द्वारा ऐसा कोई सबूत प्रस्तुत नही किया जिसके द्वारा अपीलान्ट के कथन व सबूतों का खण्डन किया जा सके बल्कि इसके विपरीत उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये सबूतों से उनका मृतक बदरी लाल के स्थान पर विरासत का नामा0 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। बदरी लाल की मृत्यु के समय वह बदरी लाल के पास ही था। उसकी सेवा व देखभाल अपीलान्ट ने की है तथा उसकी मृत्यु के बाद उसके कियाकर्म आदि कार्य उसके पुत्र अजय किरण ने ही किये थे। रैस्पो0 सं0 2 लगायत 5 ने अपने कथन के समर्थन में किसी भी स्वतंत्र साक्षी का शपथ पत्र पेश नही किया है।

Web Copy Not Official

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार ने पटवारी से भी जॉच रिपोर्ट दिनांक 23.12.17 को आना दर्ज किया है। जबकि पत्रावली में जॉच रिपोर्ट मंगवाये जाने का कोई आदेश नही है। जॉच रिपोर्ट में भी अपीलान्ट सं0 1 को मृतक बदरी की पत्नि होना तथा बदरी के संसर्ग से अपीलान्ट सं0 एक के एक पुत्र अजय किरण उम्र 11 वर्ष पैदा होना बताया है। जिससे अपीलान्ट का मृतक बदरी लाल के बतौर पत्नि व पुत्र जायज वारिसान होना पूर्ण रूप से साबित होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को वारिस नही मानने में गलती की है। अपीलान्ट ही मृतक बदीलाल के जायज वारिसान हैं तथा बदरी लाल की मृत्यु के उपरांत उसकी समस्त कृषि भूमि एवं समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के पक्ष में मृतक बदरी लाल का विरासत का नामा0 दर्ज करने के आदेश दिये जावे। अपीलान्ट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2011 डी.एन.जे (सुप्रीम कोर्ट) 383 एवं हिन्दु विवाह, विवाह की अकृतता और विवाह–विच्छेद के दृष्टान्त पेश किये।

विद्वान वकील रैस्पो0 ने लिखित बहस पेश कर बहस में अंकित किया कि मृतक खातेदार की मृत्यु दिनांक 20.11.16 को हुई थी जिसके जायज वारिसान व उत्तराधिकारी रैस्पो0 सं0 2 लगायत 5 हैं। रैस्पो0 सं0 4 मूली देवी उर्फ राधा देवी मृतक बदीलाल की विधि अनुसार ब्याहता पत्नि है। रैस्पो0 ने दिनांक 28.12.16 को मृतक बदी लाल के समस्त क्रियाकर्म कर एक प्रार्थना पत्र बद्री लाल की मृत्यु की सूचना तहसीलदार को देकर उसके स्थान पर रैस्पो0 के पक्ष में नामान्तरकरण खोलने का पेश किया। जिस पर तहसीलदार ने सम्पूर्ण जांच कर दिनांक 31.05.17 को रैस्पो0 के पक्ष में मृतक बदरीलाल के स्थान पर विरासत का नामा0 दर्ज करने का अदेश दिया था, जो विधि सम्मत् है। अपीलान्ट अपने आपको बदरीलाल के वारिसान बताकर आये हैं, जो गलत है। श्रीमती सुशीला देवी अपीलान्ट सं0 1 के पति का नाम भी बदरीलाल ही था, जो जाति से बागरिया है एवं सुशीला देवी ने मिलते हुऐ नाम बदरीलाल का अनुचित फायदा उठाने की कोशिश की है। इसी उद्देश्य की पूर्ती हेतु उसने गलत रूप से तहसीलदार को अपने आपको मृतक बदरीलाल गुर्जर का वारिस बताते हुऐ प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जो सिर्फ रैस्पो0 के हक व अधिकारों को समाप्त करने के उद्देश्य से था। उन्होंने ने लिखित बहस में यह भी अंकित किया है कि अपीलान्ट सुशीला देवी ने अपील में अपनी उम्र 38 वर्ष दर्ज की है एवं अपील के मद नं0 5 में बदरी लाल गुर्जर के साथ करीब 20 वर्ष बाद विवाह होना व पांच वर्ष बाद गौणा होना बताती है। अर्थात बकौल अपीलान्ट बदरीलाल से विवाह के समय उसकी उम्र 13 वर्ष से अधिक नही बैठती है, जो इस विवाह को प्रथम दृष्टया शून्य बताती है। जबकि ऐसा कोई विवाह बदरीलाल गुर्जर का अपीलान्ट के साथ हुआ ही नहीं। अपीलान्ट सं0 2 बदरी लाल गुर्जर का पुत्र नही है। अपीलान्ट ने जो दस्तावेज पेश किये हैं। वह दस्तावेज कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है एवं उसके द्वारा पेश दस्तावेज विरासत को तय करने के लिये पर्याप्त नही है। इसके लिये अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में जाना होगा। जो दस्तावेज पेश हुऐ हैं वे फर्जी रूप से बनाये जा सकते हैं। गवाह माधो बागरिया का शपथ पत्र पेश किया है, वह अपीलान्ट सं0 1 सुशीला देवी का पिता है।

रैस्पो0 ने लिखित बहस में यह भी अंकित किया है कि बदरी की उम्र मृत्यु के वर्ष लगभग 60 वर्ष थी एवं सुशीला ने अपील में अपनी उम्र 38 वर्ष लिखी है। इस तरह से यह विवाह होना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किसी भी तरह से सम्भव नही है। यदि यह मान भी लिया जावे कि अपीलान्ट बदरीलाल गुर्जर से विवाहित है तब भी ये विवाह प्रथम पत्नि के जीवित रहते हुऐ किया गया विवाह होने से प्रारम्भिक रूप से ही शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 135(2) भू राजस्व अधिनियम का नही है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो बयान लिये गये न ही दोनों पक्षों ने प्रकरण को कन्टेस्ट हुआ। इसलिये यह अपील इस न्यायालय में गलत पेश की है। नामा0 की प्रक्रिया संक्षिप्त प्रक्रिया है जिसमें कोई हकूक तय नही होते है। यदि अपीलान्ट के कोई हक बनते हैं तो वह सक्षम न्यायालय से तय करवाये। सुशीला बदरीलाल बागरिया की पत्नि है न कि बदरीलाल गुर्जर कही पत्नि। रैस्पो0 ने विभिन्न दस्तावेज सरकारी विभागों, न्यायालयों व बैकों द्वारा जारी किये हैं पेश किये हैं। उनसे रैस्पो0 का विधिक वारिसान होना सिद्ध है। अपील मियाद बाहर पेश की है, जो चलने योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे। रैस्पो0 नं अपने कथन के समर्थन में 2010 आरआरडी 281, 2001 आरबीजे(8) 526 पेश की।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। रैस्पो0 ने तहसीलदार सवाई माधोपुर के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.16 को पेश कर अपने पिता मृतक बदरी लाल के फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण रूपसिंह, राजेश पिसरान बदरी लाल, रेखा पुत्री बदरी लाल और मॉ मूली देवी उर्फ राधा के नाम दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने पटवारी से रिपोर्ट ली। पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार मृतक बदरी लाल की शादी शुदा पत्नि मूली देवी उर्फ राधा एवं उसके दो पुत्र रूपसिंह, राजेश एवं एक पुत्री रेखा का होना बताया। एक प्रार्थना पत्र सुशीला देवी अपीलान्ट ने जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष दिनांक 20.11.16 मृतक बदरी लाल की पत्नि व पुत्र होना मानकर पेश किया था। जिस पर पटवारी से रिपोर्ट ली गई। पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.17 के अनुसार मृतक बदरी लाल की शादी शुदा पत्नि मूलीदेवी उर्फ राधा है तथा उसके दो पुत्र रूप सिंह व राजेश हैं एवं एक पुत्री रेखा है तथा यह भी दर्शाया कि मृतक बदरी लाल द्वारा काफी समय से एक सुशीला नाम की स्त्री जो जाति से बागरिया है, के साथ भी संबंध रखे थे जिसके एक लड़का अजय किरण उम्र 11 वर्ष मौजूद है। तहसीलदार ने उभय पक्ष को सुनकर यह माना कि श्रीमती सुशीला देवी काफी समय से मृतक बदरी लाल के साथ आपसी संबंध बनाकर रह रही है। वह कानूनी एवं सामाजिक रूप से मान्य नही है। इसलिये सुशीला को पत्नि का दर्जा नही दिया जा सकता है। अतः मृतक बदरी लाल पुत्र फेलू गुर्जर की विरासत का नामान्तरकरण उसके जायज वारिसान मूली देवी उर्फ राधा पत्नि रूपसिंह व राजेश पुत्र व रेखा पुत्री के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस निर्णय की पालना में नामान्तरकरण संख्या 215 दिनांक 09.06.15 को रैस्पो0 सं0 2 लगायत 5 के नाम तस्दीक किया गया।

यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतक बदरी लाल की मृत्यु दिनांक 20.11.16 को हुई थी। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि रैस्पो0 सं0 2 लगायत 5 मृतक बदरी लाल के पुत्र, पुत्री व पत्नि हैं। बदरी लाल की मृत्यु के बाद अपीलान्ट व रैस्पो0 सं0 2 लगायत 5 ने अपने आप को मृतक का वारिस मानकर प्रार्थना पत्र विरासत दर्ज कराने हेतु पेश किया। तहसीलदार ने पटवारी से रिपोर्ट ली है जिसमें उसने मृतक बदरी लाल की शादी शुदा पत्नि मूलीदेवी उर्फ राधा है तथा उसके दो पुत्र रूप सिंह व

राजेश हैं एवं एक पुत्री रेखा का होना बताया है। पटवारी ने यह भी अंकित किया है कि मृतक बदरी लाल द्वारा काफी समय से एक सुशीला नाम की स्त्री जो जाति से बागरिया है, के साथ भी संबंध रखे थे जिसके एक लड़का अजय किरण उम्र 11 वर्ष मौजूद है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज से यह स्पष्ट होता है कि मृतक बदरी लाल के दो पुत्र, एक पुत्री व पत्नि हैं। सुशीला स्वंय को मृतक बदरी लाल की पत्नि कहकर आयी है। बदरी की उम्र मृत्यु के समय लगभग 60 वर्ष थी एवं सुशीला ने अपील में अपनी उम्र 38 वर्ष लिखी है। इस तरह से यह विवाह होना किसी भी तरह से सम्भव होना प्रतीत नही होता है। अपीलान्ट सुशीला देवी ने अपील में अपनी उम्र 38 वर्ष दर्ज की है एवं अपील में अंकित किया है कि बदरी लाल गुर्जर के साथ करीब 20 वर्ष पहले विवाह होना व पांच वर्ष बाद गौणा हुआ था। यानी उसकी उम्र 38 वर्ष है तो 20 वर्ष उसकी उम्र 13 साल की होती है जो नावालिग उम्र है जिसमें विवाह हो ही नही सकता है। इस विवाह को प्रथम दृष्टया शून्य ही माना जायेगा। यदि यह मान भी लिया जावे कि अपीलान्ट बदरीलाल गुर्जर से विवाहित है तब भी ये विवाह प्रथम पत्नि के जीवित रहते हुऐ किया गया विवाह होने से प्रारम्भिक रूप से ही शून्य है। अपीलान्ट ने जो दृष्टान्त पेश किये हैं वे नामान्तरकरण की कार्यवाही में लागू नही होत है। अपीलान्ट को दावा कर ही अनुतोष लेना चाहिये। नामान्तरकरण एक संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमें स्वत्व व अधिकारों को तय नही किया जा सकता है। अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय से दावा कर अपने स्वत्व व अधिकारों की घोषणा करा सकते हैं। नामान्तरकरण की कार्यवाही में उन्हें किसी प्रकार के हक नहीं मिल सकते है। तहसीलदार सवाई माधोपुर का निर्णय विधि सम्मत् है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज कर, तहसीलदार का निर्णय यथावत रखा जाना उचित है।

जहॉ तक अपील संख्या 440/17 उनवानी श्रीमती सुशीला देवी बनाम सरकार व अन्य का प्रश्न है। यह अपील नामान्तरकरण सं0 215 दिनांक 09.06.17 के विरूद्ध पेश की है। उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार के निर्णय दिनांक 31.05.17 की पालना में दर्ज किया गया है। तहसीलदार का निर्णय अपील संख्या 411/17 उनवानी श्रीमती सुशीला देवी वगैरहा बनाम सरकार व अन्य में यथावत रखा गया है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार के निर्णय के आधार पर दर्ज होने के कारण सही है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की दोनों अपीलें अपील संख्या 411/17 उनवानी श्रीमती सुशीला देवी वगैरहा बनाम सरकार व अन्य एवं अपील संख्या 440/17 उनवानी श्रीमती सुशीला देवी वगैरहा बनाम सरकार व अन्य खारिज की जाती हैं। तहसीलदार का निर्णय दिनांक क्रमशः 31.05.17 एवं 09.06.17 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

Web Copy - Not Official